कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

38

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन ,1944 (शक)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन ,1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना ..... (i)

प्राक्कथन..... (iii)

भाग–एक

अध्याय-एक प्रस्तावना 01

अध्याय-दो अनुदानों की मांगों का विश्लेषण 07

अध्याय-तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन 13

क अनुसंधान और विकास..... 16

ख कोयला और लिग्नाइट में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण.... 20

ग गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग..... 21

घ कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा..... 23

ड. कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना का विकास 25

अध्याय-चार सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन 28

भाग-दो

समिति की टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें..... 40

अनुबंध

एक. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 28.02.2023 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश..... 58

दो. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15.03.2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश..... 62

सीएमएंडएस सं. .....

मूल्य:

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (_____संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और _____द्वारा मुद्रित।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. श्री कुनार हेम्ब्रम
6. श्री सी. पी. जोशी
7. श्रीमती कविता मलोथू
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्री एस.आर.पार्थिबन
12. श्रीमती रीती पाठक
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री खान सौमित्र
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. श्री पशुपति नाथ सिंह
20. डॉ. थोल तिरुमावलवन
21. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. श्रीमती महुआ माजी
24. श्री रवंगवरा नारजारी
25. श्री समीर उरांव
26. सुश्री सरोज पाण्डेय
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री आदित्य प्रसाद
29. श्री धीरज प्रसाद साहू
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री जे. एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3. श्री यशपाल शर्मा	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) से संबंधित यह अड़तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. कोयला मंत्रालय की अनुदानों की माँगों को दिनांक 08.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य - संचालन नियम के नियम 331ड. के अंतर्गत, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर विचार करना और उनके संबंध में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. समिति ने दिनांक 28.02.2023 को कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, कोयला मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग और समिति के समक्ष अपना सुविचारित मत और दृष्टिकोण रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023

24 फाल्गुन, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी
समिति

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय - एक

प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय, कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

1.2 ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए त्वरित कोयला उत्पादन के लिए आधुनिक, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र के अपने विजन को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- " कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओवर बर्डन हटाने (ओबीआर). लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना ।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहलें ।
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि ।
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता।
- अंतर-मंत्रालयी मुद्दों में तेज़ी से और संयुक्त समाधान।
- कोल पीएसयू की क्षमता में सुधार।
- निजी निवेश आकर्षित करना।
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आवंटन।"

1.3 समिति को बताया गया है कि कोयला मंत्रालय, भारत में कोयले और लिग्नाइट के भंडार की खोज, विकास और दोहन से संबंधित है। समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत कोयला मंत्रालय को आवंटित विषय (अधीनस्थ या उनके विषयों से संबंधित पीएसयू सहित अन्य संगठन शामिल हैं) इस प्रकार हैं:

- भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास।
- कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित सभी मामले ।.
- ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वॉशरियों का विकास और प्रचालन ।.
- कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।
- कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य ।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।.
- कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।.
- कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम (1947 का 32) का प्रशासन |
- खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन ।.
- कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।.
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

1.4 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सीएमपीडीआई, एमईसीएल, जीएसआई, एससीसीएल तथा अन्यों द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर तैयार भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की दिनांक 01.4.2022 की स्थिति के अनुसार और 1200 मीटर तक की गहराई तक इंवेंटरी 361.41 बीटी है। कोयला संसाधन मुख्य रूप से झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य

प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। देश में लिग्नाइट भंडार लगभग 46.20 बीटी (01.04.2022 तक) अनुमानित है।

1.5 पिछले कुछ वर्षों में कोयले की समग्र खपत में निरंतर वृद्धि हुई है। कोयले की खपत/वास्तविक आपूर्ति (आयात सहित) 2017-18 में 898.276 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 (अनंतिम) में 1028.147 मिलियन टन हो गई है। 2022-23 के लिए कोयले की मांग 1204 मिलियन टन (एमटी) होने का अनुमान लगाया गया था, जिसकी तुलना में वास्तविक आपूर्ति केवल 786.469 मिलियन टन (एमटी) (फरवरी, 2023 तक) थी।

1.6 मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से, समिति ने नोट किया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू रूप से खनित कोयले के साथ आयातित कोयले के स्थान पर आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 में 1.31 बीटी और वित्तीय वर्ष 2030 में 1.5 बीटी कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां</u>

I. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

1.7 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक 'महारत्न' कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा सबसे बड़ा नियोक्ता कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ (8) राज्यों में फैले 84 खनन क्षेत्रों में प्रचालरत है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 318 खानें हैं (1 अप्रैल, 2022 की स्थिति), जिनमें है 141 भूमिगत, 158 ओपनकास्ट और 19 मिश्रित खानें हैं।

1.8 सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दस सहायक कंपनियां हैं:-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल); भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल); सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल);वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल);साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल);नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल);महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआईएल);सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड और सीआईएल सौलर पीवी लिमिटेड। इसके अलावा, सीआईएल की

मोजांबिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है।

II सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

1.9 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारतीय उत्पादन का लगभग 9% का उत्पादन करती है।एससीसीएल का तेलंगाना में कोठागुडेम, भद्राद्री जिले में पंजीकृत कार्यालय है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 43,000 श्रमशक्ति (31.12.2022 की स्थिति) सहित तेलंगाना के छह जिलों में 18 ओपनकास्ट तथा 24 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

III एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

1.10 एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एक "नवरत्न" कंपनी है जिसका चेन्नई में पंजीकृत कार्यालय और तमिलनाडु में नेवेली में कॉर्पोरेट कार्यालय है, जो ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं और तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपना विस्तार किया है जिसमें इसके मौजूदा खानों और बिजली संयंत्रों का विस्तार/संवर्द्धन, ग्रीन-फील्ड खानों और बिजली संयंत्रों की स्थापना, पैन-इंडिया फुट प्रिंट्स के साथ देश भर में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना शामिल है। एनएलसीआईएल एक प्रमुख ऊर्जा कंपनी है, जो लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करती है और थर्मल पावर और हरित ऊर्जा का दोहन करती है।

अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन

1.11 कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय - एक अधीनस्थ कार्यालय और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) - एक स्वायत्त निकाय कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

I. कोयला नियंत्रक संगठन

1.12 कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा कोलकाता, धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर, सम्बलपुर, कोठागुदेम और आसनसोल में क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.13 कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित संविधियों से प्राप्त विभिन्न सांविधिक कार्यों का निर्वहन करता है:

(i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (2021 में संशोधित)
(ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित) ।
(iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011
(iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।
(v) सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य ।

II. कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

1.14 कोयला खान भविष्य निधि संगठन एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका उत्तरदायित्व कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 कोयला खान बीमा स्कीम से संबद्ध निक्षेप, 1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन योजनाओं त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड के मार्गदर्शन में सीएमपीएफओ द्वारा परिचालित किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि नियोक्ता के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।31 दिसम्बर, 2022 तक संगठन द्वारा लगभग 3.52,683 लाख भविष्य निधि दाताओं को तथा लगभग 5.90,072 लाख पैंशनभोगियों को सेवाएं दी गई है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देशभर के कोयला उत्पादन राज्यों में इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय है।

1.15 जहां तक वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय की उपलब्धियों का संबंध है, समिति को निम्नवत बताया गया है :

(i) गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी हेतु नीति के तहत नया उप-क्षेत्र:- :-

कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत 2022 में एक नया उप-क्षेत्र 'सिन- गैस का उत्पादन जिससे कोयला गैसीकरण होता है, बनाया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। यह पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करेगा।

(ii) कोयले की ई-नीलामी के लिए सिंगल विंडो :- सरकार ने हाल ही में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नए कार्यतंत्र को मंजूरी दी है। इसके बाद, कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ई-नीलामी विडो को समाप्त कर दिया गया है। और कोयला कंपनियों के सभी गैर-लिंकेज कोयले को कोल इंडिया लिमिटेड / सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई-नीलामी विडो के माध्यम से बेचा जाएगा यह एकल ई-नीलामी विडो व्यापारियों सहित सभी क्षेत्र अर्थात विद्युत और गैर-विनियमित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इसलिए, किसी विशेष ग्रेड का कोयला बाजार में सभी उपभोक्ताओं को एक दर (वन नेशन-वन कोल ग्रेड, वन रेट) पर बेचा जाएगा।एकल ई-नीलामी विंडो कोयला कंपनियों को बाजार द्वारा डिस्कवर किए गए मूल्य कार्यतंत्र के माध्यम से कोयले की बिक्री करने में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार इस नीति को लागू करने से बाजार विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। इससे परिचालन क्षमता में भी वृद्धि होगी और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता से घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि होगी।

(iii) एनसीडीपी में संशोधन :

राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन करके उपबंधों को सक्षम किया गया है. ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त / समाप्त खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से बेचे जाने अनुमति दी जा सके।

1.16 कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों (2023-24) को 08.02.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और ये मांग संख्या 9 में दी गई हैं। कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों का विश्लेषण करते हुए समिति ने वर्तमान प्रतिवेदन में मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं /कार्यक्रमों की जांच की है। विभिन्न मुद्दों पर समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट के अगले अध्यायों में दिया गया है।

अध्याय – दो

अनुदानो की मांगों का विश्लेषण

क. <u>वर्ष 2023-24 की प्रस्तावित अनुदान की मांगों का सार</u>

कोयला मंत्रालय की अनुदानो की मांगों (2023-24) में सकल बजटीय सहायता के रूप में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, स्थापना तथा अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय के लिए 642.32 करोड़ रुपये का प्रावधान दर्शाया गया है। कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) सहित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए अनुदानो की मांगों में 574.14 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। सचिवालय, कोयला नियंत्रक संगठन तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए 68.18 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। स्कीम-वार निधि प्रावधानों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

	राजस्व		आबंटन (करोड़ रुपये में)
	केन्द्रीय क्षेत्र योजना		
1	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम		21.00
2	कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा तथा अवसंरचना विकास	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	20.00
		कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	72.00
		पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	0.50
3	कोयला एवं लिग्नाइट का अन्वेषण	क्षेत्रीय अन्वेषण	250.00*
		विस्तृत ड्रिलिंग	200.00*

कुल केंद्रीय क्षेत्र योजना		563.50
4	कोयला खान पेंशन स्कीम	10.64
5.	सचिवालय, कोयला नियंत्रक संगठन और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	68.18
	कुल	**642.32**

* राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) से पूरा किया जाना

2.2 कोयला मंत्रालय ने समिति को बताया कि 563.50 करोड़ रुपये के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक में कोयला और लिग्नाइट में अन्वेषण, कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा और कोलफील्ड क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास की योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 56.35 करोड़ रुपये का अनिवार्य प्रावधान शामिल है।

2.3 समिति यह जानना चाहती है कि वर्ष **2023-24** के लिए आवंटित बढ़ी हुई धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस पहल की गई हैं/किए जाने का प्रस्ताव है,इस संबंध में मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि 2022-23 के दौरान, कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण की योजना के लिए आवंटित ब.अ. 250.00 करोड़ रुपये था और सं.अ. चरण में आवंटन को संशोधित कर 430 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एनईआर घटक को छोड़कर पूरी धनराशि के उपयोग होने की संभावना है। कोयले और लिग्नाइट के अन्वेषण के लिए ब.अ. 2023-24 में 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन निधियों के उपयोग के लिए, विस्तृत और संवर्धनात्मक अन्वेषण हेतु ब्लॉकों की पहचान पहले ही कर ली गई है। आशा है कि निधि का इष्टतम उपयोग किया जाएगा।

2022-23 के दौरान, एसएंडटी स्कीम के लिए, एसएंडटी स्कीम (अनुसंधान एवं विकास) के लिए ब.अ. 10.00 करोड़ रुपये है और सं.अ. 8.35 करोड़ रुपये है। 2023-24 के दौरान, ब.अ. 21.00 करोड़ रुपये है। 2023-24 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए

विभिन्न जागरूकता पहलें की गई हैं और इसके परिणामस्वरूप कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर 2023-24 में विचार किया जाएगा और उम्मीद है कि आवंटित निधि का पूरा उपयोग किया जाएगा।

कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा एवं अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

स्कीम का नाम	ब.अ. 2023-24	सीसीडीएसी द्वारा अनंतिम राशि पहले ही स्वीकृत कर दी गई थी लेकिन 2022-23 के बाद प्रतिपूर्ति की जानी है	सीसीडीए समिति के अनुमोदन के लिए उप-समिति द्वारा अनुशंसित राशि
संरक्षण और सुरक्षा	20.00	4.13	15.95
परिवहन अवसंरचना का विकास	72.00	2.77	140.42

सीसीडीए समिति के अनुमोदन के लिए उप-समिति द्वारा अनुशंसित राशि अक्टूबर, 2020 से सितंबर, 2021 तक प्राप्त दावों पर आधारित है। अक्टूबर, 2021 की अवधि के दावों की अभी जांच की जानी है। इसलिए, ब.अ. 2023-24 का पूरा उपयोग किया जाएगा।

2.4 मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 2023-24 के बजट अनुमान में 830.32 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया था। प्रस्तावित राशि में से, वित्त मंत्रालय ने ₹ 642.32 करोड़ की राशि प्रदान की है। योजनाओं के तहत बजट अनुमानों, मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई उच्चतम सीमा के अनुसार किए गए आवंटन का ब्यौरा निम्नवत दिया गया है:

कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान 2023-24 का ब्यौरा निम्नानुसार है:-			
(क) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें	विवरण	बीई: 2023-24 कोयला मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित (₹ करोड़ में)	बीई 2023-24 वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित (₹ करोड़ में)

(एक)	अनुसंधान एवं विकास(आरएंडडी)	21.00	21.00
(दो)	क्षेत्रीय अन्वेषण	350.00	250.00
(तीन)	विस्तृत ड्रिलिंग	230.00	200.00
(चार)	पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	0.50	0.50
(पांच)	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	30.00	20.00
(छह)	कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	90.00	72.00
	कुल (केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें)	721.50	563.50

मंत्रालय ने समिति को बताया है कि वार्षिक बजटीय आवंटन में कमी के कारण, वे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के तहत बकाया राशि की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं।

<u>पिछले तीन वर्षों की अनुदानों की मांगों (योजना) का विश्लेषण</u>

2.5 वर्ष 2023-24 के लिए कोयला मंत्रालय की स्कीमों, परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए आबंटनों का पिछले वर्षों के आबंटनों के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है, जो निम्नानुसार है :

सकल बजटीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/कार्यक्रम

(करोड़ रुपए में)

स्कीमें	ब.अ.(सं.अ.) 2020-21	ब.अ.(सं.अ.) 2021-22	ब.अ. 2022-23	सं.अ. 2022-23	प्रस्तावित ब.अ. 2023-24
(i) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	25(12)	18(11.50)	10	8.35	21
पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	-28(-4.17)	-44.44	-27.39	110
(ii) क्षेत्रीय अन्वेषण	70(92.66)	130(110.71)	75	130	250

पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	85.71(20)	-42.31	8.33	233.33
(iii) गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग	630(352.18)	200(352.32)	175	300	200
पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	-68.25(-9.08)	-12.50	71.43	12.50
(iv) पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी)	0.50	0.50(00)	0.50	0.50	0.50
पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	-	-	-	-
(v) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा	10(4.44)	6(4.50)	4.00	4.00	20
पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	-40(-25)	-33.33	-11.11	400
(vi) परिवहन अवसंरचना का विकास	84.48(50.23)	65.48(65.48)	50.04	50.04	72
पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में वृद्धि प्रतिशत	-	-22.49(30.36)	-23.61	-23.61	13.03

नोट :

1. जीएसटी में कोयला उपकर को शामिल करने के कारण, भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए प्रतिपूर्ति को समाप्त कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप 'संरक्षण एवं सुरक्षा' शीर्ष के तहत निधि प्रावधान में कमी आई है।
2. कोयला और लिग्नाइट में अन्वेषण के लिए बढ़ी हुई निधि के प्रावधान के लिए कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को कैबिनेट नोट भेजा गया है।

2.6 समिति को बताया गया है कि वित्त वर्ष **2022-23** के दौरान कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए आवंटित बजट अनुमान **₹ 393.24** करोड़ था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर **₹ 547.88** करोड़ कर दिया गया था और **28.02.2023** की स्थिति के अनुसार संशोधित आवंटन का वास्तविक उपयोग **₹ 419.81** करोड़ था।

2.7 2022-23 के दौरान आवंटित निधि के उपयोग के संबंध में, कोयला मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान कहा है कि 2022-23 के दौरान बजट अनुमान को संशोधित अनुमान स्तर पर विभिन्न योजनाओं के उपयोग का आकलन करते हुए मूल्यांकन किया गया है। मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल की स्थिति का आकलन किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 10% के बजटीय प्रावधान का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां लागू करने के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन अगले वर्ष के लिए, मंत्रालय एक कार्य योजना तैयार करेगा और कम से कम सुरक्षा घटक का उपयोग करने का प्रयास करेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अन्वेषण और अनुसंधान एवं विकास में कठिनाई है। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा, मंत्रालय के पास बजटीय प्रावधान का 100% उपयोग करने की योजना है।

अध्याय-तीन

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोग की तुलना में निधियों के आंवटन और कमी, यदि कोई है, के कारणो के बारे में पूछे जाने पर, कोयला मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया है।

(करोड़ रुपए में)

योजना	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोग	टिप्पणी
विस्तृत अन्वेषण	2020-21	630	385	352.18	बजट के एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यम से लेकर घना वन आवरण, उबड-खाबड भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल कानून-व्यवस्था दशाएं, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम एवं अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
	2021-22	200	350.05	315.32	
	2022-23	175	300	255.05 (28.02.2023 तक)	एनईआर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग
					वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 287 करोड़ रुपये और 2021-22 के लिए 197 करोड़ रुपये की देनदारियां। 100प्रतिशत निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है।

क्षेत्रीय अन्वेषण	2020-21	70	100	92.66	बजट के एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यम से लेकर घना वन आवरण, उबड-खाबड भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल कानून-व्यवस्था दशाएं, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम एवं अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। एनई को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग 100प्रतिशत निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है।
	2021-22	130	120	110	
	2022-23	75	130	114. 12 (28.02.2023 तक)	
अनुसंधान और विकास/एस एंड टी	2020-21	25	12	9.97	वर्ष 2020-21 के दौरान, 9.97 करोड़ रुपये (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया था और निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / तौर-तरीके न होने के कारण शेष आवंटित निधि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका।
	2021-22	18	11.50	8.35	
	2022-23	10	8.35	6.30 (28.02.2023 तक)	2021-22 के दौरान, 7.54 करोड़ रुपये (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया था। निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / तौर-तरीके न होने के

					कारण एससी और टीएसपी के लिए आवंटित 1.94 करोड़ रु. की धनराशि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका। चालू वर्ष के दौरान 6.30 करोड़ रु. (एनईआर सहित) संवितरित किए गए।
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	2020-21	10	6	4.44	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
	2021-22	6	4.50	4.05	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
	2022-23	4	4	3.60 (28.02.2023 तक)	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
कोलफील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन अवसंचरना का विकास	2020-21	84.48	50.23	45.21	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
	2021-22	65.48	65.48	58.63	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
	2022-23	50.04	50.04	40.74 (28.02.2023 तक)	एनईआर घटक का उपयोग नहीं किया गया
पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण	2020-21	0.50	0.50	0	झरिया और रानीगंज मास्टर प्लान के प्रावधानों के तहत, कोल इंडिया लिमिटेड को पहले अपने आंतरिक संसाधनों से 350 करोड़ रुपये/- खर्च करने होंगे और 350 करोड़ रुपये से अधिक की राशि
	2021-22	0.50	0.50	0	
	2022-23	0.50	0.50	0	

					का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता से किया जाएगा। चूंकि, इस अवधि के दौरान कुल व्यय प्रतिवर्ष 350 करोड़ रु./- से कम है, इसलिए सीएसएस निधि से कोई व्यय नहीं हुआ है।

<u>योजनाओं की समीक्षा</u>

क. <u>अनुसंधान और विकास</u>

<u>एसएंडटी के अधीन अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति</u>

3.2 कोयला क्षेत्र में आरएंडडी क्रियाकलाप एक शीर्ष निकाय अर्थात स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से प्रशासित होते हैं जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्य कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएम्एस) के महानिदेशक(डीजी), संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नीति आयोग और अनुसंधान संस्थाओं तकनीकी उप-समिति के अध्यक्ष आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। एसएसआरसी का मुख्य कार्य अनुसंधान परियोजनाओं की योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। एसएसआरसी की सहायता एक तकनीकी उप-समिति द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता आईआईटी-केजीपी बीएचयू/ आईएसएम के विभागाध्यक्ष (खनन) द्वारा वार्षिक रोटेशन आधार पर की जाती है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं 7 विषयगत क्षेत्रों अर्थात उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी / पद्धति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण का सुधार, प्रौद्योगिकी/पद्धति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण का सुधार, अपशिष्ट से आर्थिक लाभ, कोयले और स्वच्छ कोयला प्रोद्योगिकी का वैकल्पिक उपयोग, कोयला लाभ तथा उपयोग, अन्वेषण, नवाचार और स्वदेशीकरण (मेक-इन-इंडिया अवधारणा के तहत) सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रियाकलापों के समन्वय के लिए एक नोडल अभिकरण का कार्य करती है जिसमें अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए थ्रस्ट एरिया की पहचान करना, उन अभिकरणों की पहचान करना जो पता लगाए गए क्षेत्रों में

अनुसंधान कार्य को शुरू कर सकते हैं. सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, बजट अनुमानों को तैयार करना, निधि का वितरण करना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना आदि शामिल है।

<u>वित्तीय कार्यनिष्पादन</u>

3.3 मंत्रालय ने बजट अनुमान 2023-24 के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार उपलब्ध करवाया है:-

(रुपये करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक उपयोग	टिप्पणी
अनुसंधान और विकास/एस एंड टी	2020-21	25	12	9.97	वर्ष 2020-21 के दौरान, 9.97 करोड़ रु. (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया था और निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / तौर-तरीके न होने के कारण शेष आवंटित निधि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका।
	2021-22	18	11.50	8.35	
	2022-23	10	8.35	6.30 (28.02.202	2021-22 के दौरान, 7.54 करोड़ रुपये (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया था। निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / तौर-

				3 तक)	तरीके न होने के कारण एससी और टीएसपी के लिए आवंटित 1.94 करोड़ रु. की धनराशि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका। चालू वर्ष के दौरान 6.30 करोड़ रु. (एनईआर सहित) संवितरित किए गए।
	2023-24	21			

3.4 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि बीई 2022-23 में आर एंड डी योजना के लिए आवंटित 10.00 करोड़ रुपये को संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 8.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था और फरवरी, 2023 तक वास्तविक उपयोग 6.30 करोड़ रुपये हुआ।

3.5 समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय 31.03.2023 तक शेष धनराशि का उपयोग करने में सक्षम होगा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया है कि शायद अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत धन का उपयोग न किया जाए।

3.6 यह पूछे जाने पर कि क्या 2023-24 के लिए आरएंडडी के तहत आवंटित धनराशि योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (अर्थात ₹ 21.00 करोड़) का उपयोग चालू और नई परियोजनाओं के लिए किए जाने की उम्मीद है जिसे एससी और टीएसपी निधि के घटक के उपयोग के लिए दिशानिर्देश/तौर-तरीके जारी करने के तहत अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हुआ हो, तो संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त निधि की मांग की जा सकती है।

वास्तविक कार्यनिष्पादन

3.7 वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है:-

क्र.सं.	मानदंड	मात्रा
1.	01.04.2022 को चालू परियोजनाएं	11
2.	2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान पूरी होने वाली परियोजनाएं	02
3.	2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान निरस्त की गई परियोजनाएं	01
3.	2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं	09
5.	31.12.2022 को चालू परियोजनाएं	17

3.8 सीएमपीडीआईएल द्वारा आरएंडडी के तहत विभिन्न चालू और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया है:

(क) सीएमपीडीआई द्वारा सीएमपीडीआई की समीक्षा बैठकों में कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जाती है और नियमित अंतराल पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) की तकनीकी उप-समिति के साथ-साथ सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली एसएसआरसी द्वारा भी प्रगति की समीक्षा की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियां सीएमपीडीआई को परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें जांच के बाद तकनीकी उप-समिति और एसएसआरसी के समक्ष रखा जाता है।

(ख) इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सीएमपीडीआई अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन संस्थानों का आवधिक दौरा किया जाता है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

ख. कोयला और लिग्नाइट में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण

3.9 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल), राज्य सरकारें और केन्द्रीय खान योजना और संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआई) कोयला मंत्रालय की "कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण " की योजना के तहत संवर्धनात्मक अन्वेषण कर रहे हैं।

3.10 मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान के साथ-साथ 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और निधियों के वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बीई	आरई	उपयोग किया गया	टिप्पणी
2022-23	75.00	130.00	114.12 (अब तक)	नईआर घटक को छोड़कर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।
2023-24	250			

3.11 उपरोक्त से देखा जा सकता है कि बजट अनुमान 2022-23 में क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए आवंटित 75.00 करोड़ रुपये को संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 130.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और फरवरी, 2023 तक वास्तविक उपयोग 114.12 करोड़ रुपये था।

3.12 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय शेष निधियों का उपयोग करने और 31.03.2023 तक शेष अन्वेषण लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि एनईआर घटक को छोड़कर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। संभावित व्यय में पिछले वर्ष की लगभग 57 करोड़ रुपये की आंशिक देनदारियां शामिल हैं।

3.13 जहां तक अन्वेषण लक्ष्य का संबंध है, समिति को बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए 0.40 लाख मीटर के अन्वेषण लक्ष्य की तुलना में, आरई चरण में अन्वेषण लक्ष्य को बढ़ाकर 0.65 लाख मीटर कर दिया गया था और जनवरी, 2023 तक 0.57 लाख मीटर अन्वेषण किया गया है। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2022-23 के दौरान निर्धारित अन्वेषण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

3.14 यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और बजट अनुमान चरण में उपलब्ध कराई गई धनराशि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि 2023-24 का प्रस्तावित लक्ष्य 2.00 लाख मीटर है। क्षेत्रीय अन्वेषण में 2.0 लाख मीटर और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई धनराशि पर्याप्त होगी। अतिरिक्त निधियां, यदि आवश्यकता पड़ी, तो सं.अ. चरण में मांगी जाएंगी।

ग. <u>गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग</u>

3.15 **सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई)** द्वारा सीआईएल तथा गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण कार्य **निर्दिष्ट** तथा **अनुमानित** श्रेणी में आने वाले संसाधनों को **मापित** (प्रमाणित) श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। गैर-सीआईएल / कैप्टिव खनन ब्लॉकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग कोयला मंत्रालय की "गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग" की प्लान स्कीम के अंतर्गत की जाती है।

3.16 मंत्रालय ने गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के साथ-साथ 2022-23 के दौरान बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और निधियों के वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोग की गई	टिप्पणियाँ
2022-23	175.00	300.00	255.05 (28.02.2023 तक)	एनईआर घटक को छोड़कर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।
2023-24	200			

3.17 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान चरण में 175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया था और फरवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय 255.05 करोड़ रुपये रहा है।

3.18 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय 31.03.2023 तक शेष निधियों का उपयोग कर पाएगा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि एनईआर घटक को छोड़कर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। इस संभावित व्यय में पिछले वर्ष की लगभग 197 करोड़ रुपये की आंशिक देनदारियां शामिल हैं।

3.19 समिति को यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए 1.60 लाख मीटर के ड्रिलिंग लक्ष्य की तुलना में, आरई स्तर पर ड्रिलिंग लक्ष्य को घटाकर 1.35 लाख मीटर कर दिया गया था और दिसंबर, 2022 तक 0.73 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई है। मंत्रालय ने आगे बताया कि 2022-23 के दौरान निर्धारित ड्रिलिंग लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा ।

3.20 समिति ने विस्तृत ड्रिलिंग करने में आने वाली बाधाओं और इसे दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि विस्तृत ड्रिलिंग करने में आ रही बाधाओं का कारण राज्यों के वन विभागों से वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के लिए संभावित सांविधिक अनुमति है। बड़ी संख्या में ब्लॉकों का अन्वेषण अधूरा है और यदि सांविधिक अनुमति नहीं दी जाती है तो अन्वेषण कार्यक्रम को स्थगित/परित्यक्त करना पड़ सकता है। योजना की सफलता कोयला और लिग्नाइट वाले क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए बाधा मुक्त पहुंच (कानून और व्यवस्था की समस्याएं) पर भी निर्भर करेगी। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के समक्ष अधिकारियों के खनन तथा संबद्ध गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करने वाले कानून और व्यवस्था के मुद्दों को पूर्व में कई बार उठाया गया है।

घ. <u>कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा</u>

3.21 कोयले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विशेषकर तब जब कि कोयला भण्डार सीमित हैं। कोयला संरक्षण के पहलू पर आयोजना के स्तर से ही ध्यान दिया जाता है तथा कार्यान्वयन चरण में अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। कोयला सीमों के लिए खानों को तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धतियों के माध्यम से डिजाइन किया जाता है। वर्तमान में मशीनीकृत ओपनकास्ट (ओसी) खनन उथली गहराई में थिक सीमों के निष्कर्षण के लिए आम तौर पर अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से प्राप्ति का प्रतिशत लगभग 180% से 90% है। वर्तमान में, कोयला उद्योग में इस प्रौद्योगिकी की प्रबलता है और इसके माध्यम से

देश के कोयला उत्पादन में 94% से ज्यादा का योगदान मिलता है। इसके अलावा, जब भी व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों के विकसित पिलर्स का निष्कर्षण ओपनकास्ट प्रचालनों के माध्यम से भी किया जा रहा है। लांगवाल पद्धति, शॉर्टवाल पद्धति, हाईवाल माइनिंग और सतत खनिक प्रौद्योगिकी जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों तथा सतत खनन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भूमिगत खनन (यूजी) में निष्कर्षण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। मशीनीकृत बोल्टिंग और रेजिन कैप्सूल्स से रूफ सपोर्ट प्रौद्योगिकी में सुधार के परिणामस्वरूप वाइडर गैलरी स्पैन को बनाए रखना तथा रूफ की खराब दशाओं के अंतर्गत अधिक कारगर ढंग से सीमों का निष्कर्षण संभव हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप कोयला संरक्षण में सुधार हुआ है।

3.22 भूमिगत खानों में रेत भराई अभी भी कोयला संरक्षण का एक कारगर साधन है जिसका महत्वपूर्ण सतही संरचना, रेलवे लाइनों, नदियों, नालों आदि जैसे बिल्ट-अप क्षेत्रों के नीचे मौजूद भूमिगत कोयला सीमों से कोयला पिलरों के निष्कर्षण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप पिलर्स में कोयला अवरूद्ध हो सकता है। रेत भराई से विभिन्न उठानों में थिक सीमों के निष्कर्षण में भी सहायता मिलती है जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ा है। रेत की कमी के कारण, रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए फ्लाई ऐश, बॉइलर ऐश, क्रश्ड ओवरबर्डन पदार्थ आदि जैसे अन्य पदार्थों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान में, भूमिगत कोयला खानों में रेत भराई के लिए वाणिज्यिक रूप से क्रश्ड ओवरबर्डन पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां खान के आस पास रेत उपलब्ध न हो या सुदुर नदी स्रोतों से रेत की ढुलाई महंगी पड़ती हो ।

3.23 कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा योजना के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के साथ 2022-23 के दौरान ब.अ., सं.अ. स्तर पर आवंटित निधि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब अ	सं अ	वास्तविक व्यय
2022-23	4.00	4.00	3.60 (28.02.2023 तक)
2023-24	20		

3.24 उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन 4.00 करोड़ रुपये था और फरवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय 3.60 करोड़ रुपये रहा है। मंत्रालय ने यह बताया कि वे शेष निधियों का उपयोग 31-03-2023 तक कर लेंगे केवल एनईआर घटक को छोड़कर, जिसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है।

3.25 यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित धनराशि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि 2023-24 में कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवंटित 20.00 करोड़ रु. की निधि पर्याप्त प्रतीत होती है क्योंकि अभी 4.13 करोड़ रु. की अनुमोदित परियोजनाएं हैं जिन्हें सीसीडीए समिति ने विभिन्न कोयला कंपनियों के पिछले वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों के दावों के मुकाबले अनुमोदित किया था । साथ ही सीसीडीए उप-समिति ने सितंबर, 2022 तक 15.95 करोड़ रुपये की राशि के दावों की सिफारिश की है। जिसे सीसीडीए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। अतिरिक्त निधियां, यदि आवश्यक हो, सं.अ. चरण में मांगी जाएंगी।

3.26 पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला/लिग्नाइट खनन स्थलों पर दुर्घटनाओं के संबंध में दर्ज/रिपोर्ट किए गए आंकड़ों सहित घायलों और मृत्यु के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया ।

तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों की खानों में हुई घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या, संबंधित चोटों सहित, निम्नानुसार है:-

सहायक कंपनी	घातक दुर्घटनाएँ			घातक मृत्यु			गंभीर दुर्घटनाएं			घातक जख़्म		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ईसीएल	6	7	2	7	8	2	18	10	9	22	11	9
बीसीसीएल	2	2	4	2	3	5	9	6	2	9	7	3
सीसीएल	1	1	2	1	1	2	7	3	3	7	4	3
एनसीएल	2	3	1	2	3	1	14	9	9	15	9	9
डब्ल्यूसीएल	4	6	1	4	6	2	6	6	10	7	7	12
एसईसीएल	10	7	8	10	7	8	15	21	25	16	21	26
एमसीएल	4	1	0	4	1	0	4	2	4	4	2	4
एनईसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कोल इंडिया	29	27	18	30	29	20	73	57	62	80	61	66

3.27 किसी गंभीर/घातक दुर्घटना के लिए जवाबदेही/जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर , मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा खान अधिकारियों सहित उन व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है, जिन्हें सीआईएल के आचरण अनुशासनात्मक और अपील सीडीए नियम – 1978 के तहत (आज की तारीख के अनुसार संशोधित) निर्धारित उचित कार्यवाही के पूरा होने के बाद उन घातक दुर्घटनाओं के लिए विभागीय आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) पूछताछ में जिम्मेदार ठहराया गया था।

ड. <u>कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास</u>

3.28 कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, इस स्कीम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए सड़क के विकास तथा रेल अवसंरचना के सृजन को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में शामिल किया गया है। कोयला कंपनियां सीसीडीए (कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार) स्कीम से प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत करती है जिसकी जांच कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) में की जाती है और जिसे सीसीडीए समिति को सिफारिश हेतु सीसीडीए उप समिति के समक्ष रखा जाता है। सीसीडीए समिति की बैठक कोयला कंपनियों के दावों को अनुमोदित करने के लिए वर्ष में दो बार होती है और तदनुसार सीसीडीए स्कीम से धनराशि संवितरित की जाती है।

3.29 भविष्य में उत्पादन तथा निकासी में योजनाबद्ध वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से, सीआईएल ने मुख्य रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आरंभ किया है। इन रेल अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे (डिपॉजिट आधार पर) अथवा रेलवे, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाली) तथा संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले आईआरसीओएन के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिए किया जा रहा है।

3.30 तीन प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाएं डिपोजिट आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं और चार रेल अवसंरचना परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

3.31 कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के अंतर्गत बजट अनुमान 2023-24 के साथ 2022-23 के दौरान ब.अ, सं.अ. चरण में आवंटित निधि और उपयोग निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2022-23	50.04	50.04	40.74 (28.02.2023 तक)
2023-24	72		

3.32 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के लिए कोल्डफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के अंतर्गत बजटीय प्रावधान 50.04 करोड़ रुपये था और फरवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय 40.74 करोड़ रुपये रहा है।

3.33 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण निधियों का उपयोग कर पाएगा, समिति को यह बताया गया कि एनईआर और एसटी घटकों के अंतर्गत निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता है।

3.34 पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए व्यय और प्रतिपूर्ति के आंकड़े पूछे जाने पर मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय और प्रतिपूर्ति के आंकड़े:

(करोड़ रु . में)

वर्ष	बजट शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	सीसीडीएसी द्वारा अनुमोदित वास्तविक	पिछले वर्ष से स्पिल ओवर धनराशि	कुल मांग	कोयला मंत्रालय द्वारा जारी निधि	अगले वर्ष के लिए शेष धनराशि
2019-20	कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	130.50	90.00	159.38	68.50	227.88	82.72	146.89
2020-21		84.48	50.23	0.00	146.89	146.89	45.15	101.74
2021-22		65.48	65.48	0.40	101.74	102.14	58.63	43.51

डीटीआईसी स्कीम की वर्ष-वार उपलब्धि

वर्ष	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या			सीसीडीएसी द्वारा अनुमोदित कुल राशि	कोयला मंत्रालय द्वारा वितरित राशि
	रेल	सड़क	कुल	लागत करोड़ रुपये में	करोड़ रु. में
2019-20	5	12	17	159.38	80.99
2020-21	3	4	7	0	45.15
2021-22	1	0	0	0.40	58.63

टिप्पणी: एनईसी से दावे प्राप्त न होने के कारण निधि के एनईआर घटक का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2021-22 में, केवल पिछले वर्षों की स्पिल ओवर राशि की ही प्रतिपूर्ति की जा सकती थी।

अध्याय – चार

कोयला/लिग्नाइट पीएसयू का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन

क. वास्तविक कार्यनिष्पादन

4.1 पिछले 3 वर्षों के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयले सहित देश में कोयले की कुल मांग और कोयले की घरेलू आपूर्ति तथा कोयले के आयात के संबंध में, समिति को निम्नवत बताया गया है:

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	कोयले की कुल मांग			घरेलू कोयला उत्पादन/आपूर्ति		कोयले का आयात	
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कुल	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	कोकिंग	नॉन-कोकिंग
2019-20	63.74	891.97	955.71	11.91	695.27	51.83	196.70
2020-21	60.16	845.98	906.14	8.96	681.93	51.20	164.05
2021-22	66.32	961.61	1027.93	9.16	809.84	57.16	151.77

कोयले की मांग सीआईएल, एससीसीएल की कोयला कंपनियों, अन्य (कैप्टिव) और आयात द्वारा पूरी की जाती है।

4.2 मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी-वार कोयला उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया है:-

(आंकड़े मिलियन टन में)

सहायक कंपनी	2021-22		2020-21		2019-20	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ईसीएल	52.00	32.43	52.00	45.01	53.50	50.40
बीसीसीएल	30.00	30.51	29.00	24.66	36.00	27.74
सीसीएल	74.00	68.85	74.00	62.59	77.00	66.89
एनसीएल	119.00	122.43	113.00	115.04	106.25	108.05
डब्ल्यूसीएल	60.00	57.71	60.00	50.28	56.00	57.64
एसईसीएल	172.00	142.51	172.00	150.61	170.50	150.55
एमसीएल	163.00	168.17	160.00	148.01	160.00	140.36
एनईसी	0.00	0.03	0.00	0.04	0.75	0.52
कुल सीआईएल	670.00	622.63	660.00	596.22	660.00	602.14
एससीसीएल	68.00	65.02	67.5	50.58	67.00	64.04
कैप्टिव	110.00	90.53	101.00	69.28	83.00	64.70
कुल योग	**848.00**	**778.19**	**828.50**	**716.08**	**810.00**	**730.88**

4.3 निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भिन्नता/कमी के कारणों के साथ-साथ वर्ष 2022-23 के लिए कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का विवरण देने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया है:-

क्र.सं.	कंपनी	लक्ष्य 2022-23	जनवरी, 2023 तक लक्ष्य	जनवरी, 2023 तक वास्तविक	% उपलब्धि
1.	सीआईएल	700.00	548.29	550.92	100.48
2.	एससीसीएल	70.00	56.85	54.10	95.18
3.	कैप्टिव एवं अन्य	141.00	117.50	93.22	79.34
कुल अखिल भारत		911.00	722.64	698.24	96.63

मंत्रालय ने यह भी बताया है कि सीआईएल ने कम बढ़त के साथ जनवरी, 2023 के अंत तक उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लिया है। कई नई खानों में उत्पादन शुरू नहीं हो पाने, भूमि संबंधी मुद्दे तथा स्थानीय विरोध के कारण जनवरी, 2023 तक कैप्टिव और अन्य खानों के तहत कोयला उत्पादन लगभग 20% पीछे है। इसी तरह, कुछ खानों के लिए विलंबित वन मंजूरी, गर्मियों में भारी बारिश, और भूमिगत खानों में प्रतिकूल भू-खनन की स्थिति जैसे मुद्दों ने एससीसीएल के उत्पादन को प्रभावित किया है।

भूमिगत उत्पादन अभियान

4.4 भूमिगत उत्पादन अभियान के संबंध में, समिति को बताया गया है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं से प्रेरित होकर, सीआईएल अपने फंसे हुए भूमिगत भंडार को अनलॉक करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भूमिगत कोयला गुणवत्ता में बेहतर है और उच्च ग्रेड के कोयले के आयात के बोझ को कम करता है। यह भूमि पर भी न्यूनतम फैलता है अपने क्षरण को रोकता है तथा समाज के अनुकूल भी है। भूमिगत परिणाम की खोज के लिए सीआईएल बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के मिश्रण का लाभ उठा रही है। सीआईएल ने 10.85 एमटीवाई की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 18 भूमिगत खानों में 25 कंटीन्यूअस माइनर्स लगा रखे हैं और मार्च, 2026 तक 20 खानों में 41 और माइनर्स लगाने की योजना बना रही है। मार्च, 2027 तक चार पावर्ड सपोर्ट लॉन्गवॉल (पीएसएलडब्ल्यू) उपकरण भी संस्थापित करने का प्रस्ताव है। सीआईएल खान विकासकर्ताओं और प्रचालकों और प्रचालनों की आउटसोर्सिंग जैसे व्यापार मॉडल भी अपना रही है। लगभग 600 मीट्रिक टन के अनुमानित खनन योग्य भंडार वाली 30 बंद खानों को फिर से खोलने के लिए कार्य चल रहा है।

4.5 वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयले के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में, सीआईएल के अध्यक्ष ने समिति के समक्ष पेश होते हुए बताया है कि जहां तक जनवरी, 2023 तक उत्पादन का संबंध है, कोयले का उत्पादन 550.92 मिलियन टन है, फरवरी में कोयले का उत्पादन अधिक है और सीआईएल चालू वर्ष के दौरान ही 700 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।

4.6 समिति को निम्नवत भी बताया गया है:-

उत्पादन: फरवरी, 2022-23 तक सीआईएल का उत्पादन 619.7 मीट्रिक टन था जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 542.4 मीट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 14.3% अधिक था। 77.3 मीट्रिक टन के उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि जो वित्त वर्ष 2023 के 700 मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य को पार करने में बहुत मदद करेगा और सीआईएल के 80 मीट्रिक टन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने की संभावना है, जो वर्ष 2015-16 में प्राप्त 44.5 मीट्रिक टन के पिछले उच्च स्तर से लगभग दोगुनी होगी।

ओवर बर्डन रिमूवल: फरवरी, 2023 तक सीआईएल ने 1486 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सीयूएम) ओबी का उत्खनन किया, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21% की मजबूत वृद्धि थी और प्रगतिशील लक्ष्य का 101.4% हासिल किया। उच्च वृद्धि के समर्थन से, सीआईएल वित्त वर्ष, 2023 के 1634 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सीयूएम) के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है। वृद्धिशील 272 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.सीयूएम) एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि होगी। ओबी कोयले के भावी उत्पादन को आसान और तेज बनाना सुनिश्चित करता है।

कोयला ऑफ-टेक: सीआईएल की कुल कोयले की आपूर्ति फरवरी, 2023 तक वार्षिक आधार पर 30.6 मीट्रिक टन बढ़कर 630.5 मीट्रिक टन हो गई। सीआईएल ने बिजली क्षेत्र को फरवरी, 2023 तक 534 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जो 46 मीट्रिक टन अधिक है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 488 मीट्रिक टन से 9.4% अधिक है। सीआईएल का लक्ष्य 565 मीट्रिक टन के वार्षिक कार्यक्रम की तुलना में बिजली संयंत्रों को 20 मीट्रिक टन अधिक कोयले की आपूर्ति करना है।

4.7 सीएमडी, एससीसीएल ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान 70 मिलियन टन कोयले के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में एससीसीएल ने जनवरी,

2023 तक 54.10 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और मार्च के अंत तक एससीसीएल 68 मिलियन टन उत्पादन कर लेगा। ओडिशा में नैनी परियोजना के लिए वन मंजूरी में विलंब के कारण, एससीसीएल वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 2 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी।

4.8 वर्ष 2022-23 के दौरान, लिग्नाइट के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में, सीएमडी, एनएलसीआईएल ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया है कि इस वर्ष का लक्ष्य 23 मिलियन टन है और इसकी तुलना में एनएलसीआईएल ने 20.9 मिलियन टन उत्पादन किया है जो निर्धारित लक्ष्य का 89% है। वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

4.9 सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला / लिग्नाइट के अनुमानित उत्पादन लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी है:-

(क) वार्षिक अनुमानित कोयला उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन में)	
कंपनियों के नाम	2023-24
(एक) कोल इंडिया लिमिटेड	780.00
(दो) एससीसीएल	70.00
(तीन) कैप्टिव एवं अन्य	162.00
कुल	1012.00
(ख) वार्षिक अनुमानित लिग्नाइट उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टन में)	
(एक) एनएलसीआईएल	26.50

ख. <u>वित्तीय कार्यनिष्पादन</u>

4.10 कोयला मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य के दौरान, एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, समिति को कोयले/लिग्नाइट पीएसयू के कैपेक्स के बारे में निम्नवत बताया गया है:

(₹ करोड़ में)

		2021-22				2022-23				2023-24
क्र. सं.	पीएसयू का नाम	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	सं.अ. के संदर्भ में वास्तविक का %	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (जनवरी 2023 तक)	सं.अ.के संदर्भ में वास्तविक का %	ब.अ.
1	सीआईएल	14685	14685	15401	105%	16500	16500	13024	79%	16500
2	एनएलसीआईएल	2061	2061	2542	124%	2920	2920	1803	62%	2880
3	एससीसीएल	2500	2000	1714	86%	2000	1600	1606	100.4%	1650
कुल		19246	18746	19657	105%	21420	21020	16433	78.17	21030

4.11 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल के क्रमशः ₹ 16500, ₹ 2920 और ₹ 2000 (आरई चरण में ₹ 1600 करोड़) के प्लान कैपेक्स की तुलना में वास्तविक उपयोग (जनवरी, 2023 तक) सीआईएल द्वारा ₹ 13024 करोड़ (79%), एनएलसीआईएल द्वारा 1803 करोड़ (62%) और एससीसीएल द्वारा 1606 करोड़ (आरई का 100.4%) रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल द्वारा योजना परिव्यय क्रमशः ₹ 16500 करोड़ , ₹ 2880 करोड़ और ₹ 1650 करोड़ निर्धारित किया गया है।

4.12 समिति ने जानना चाहा कि क्या कोयला/लिग्नाइट पीएसयू 31.03.2023 तक शेष राशि का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस संबंध में, अध्यक्ष, सीआईएल ने साक्ष्य के दौरान बताया है कि ₹ 16500 करोड़ के कैपेक्स की तुलना में सीआईएल ने ₹ 13024 करोड़ का उपयोग किया है। शेष ₹ 3500 करोड़ की राशि का उपयोग दो महीने के भीतर कर लिया जाएगा। अध्यक्ष, सीआईएल ने यह भी बताया है कि सीआईएल कैपेक्स लक्ष्य से अधिक हासिल करेगा।

4.13 समिति को यह भी बताया गया है कि सीआईएल ने दिसंबर, 2022 तक के नौ माह में ₹ 22,597 करोड़ का अब तक का रिकॉर्ड उच्च समेकित कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया, जो कि कंपनी द्वारा पूरे वित्त वर्ष में हासिल किए गए उच्चतम पीएटी से भी अधिक है, जो वर्ष 2018-19 में ₹ 17,464 करोड़ था। सीआईएल द्वारा उनके नौ माह की अवधि के लाभ को वित्त

वर्ष 2022 की समान अवधि के ₹ 10,663 करोड़ की तुलना में 112% की स्वस्थ वृद्धि के साथ पोस्ट किया गया।

<u>सीआईएल द्वारा अन्य पहलें</u>

अपशिष्ट से धन का सृजन – ओबीआर से रेत

4.14 समिति पाती है कि निर्मित रेत कोयले के उत्पादन से निकलने वाले अपशिष्ट से 4 गुना अधिक अपशिष्ट से बनती है। अभी हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर अमलोहारी परियोजना में एम सैंड का उत्पादन शुरू किया है।

4.15 इस संबंध में, समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनियों में विचार की जा रही ऐसी परियोजनाओं के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि सीआईएल ओवरबर्डन सामग्री से रेत का निर्माण कर रही है। जनवरी, 2023 तक ऐसी चार परियोजनाओं अर्थात वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक-एक परियोजना ने ओबीआर से संचयी रूप से 2.37 लाख क्यूबिक मीटर रेत का उत्पादन किया है। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निर्माण के लिए सस्ती रेत उपलब्ध कराती है।

खान जल का प्रभावी उपयोग

4.16 समिति को यह बताया गया है कि कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में, मार्च, 2022 तक 7,848 लाख किलो लीटर खान जल निर्वहन में से लगभग 47 प्रतिशत जल का 871 गांवों {सीआईएल (727 गाँव), एससीसीएल (104 गाँव) और एनएलसीआईएल (40 गाँव)} में घरेलू और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए आस-पास के समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है और 16.18 लाख आबादी लाभान्वित होती है। अन्य 38 प्रतिशत जल का उपयोग अपने घरेलू और औद्योगिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, 15% का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खानों से शून्य निर्वहन होता है और अम्लीय प्रकृति के जल और शेष भूजल को पुनर्भरण और भावी उपयोग के लिए रखा जाता है। सीआईएल की खानों से छोड़े गए खान जल के उपयोग के संबंध में, समिति को बताया गया है कि सीआईएल के खनन क्षेत्रों के निकट के 837 गांवों में 11.10 लाख लोग वर्ष के दौरान घरेलू और सिंचाई के उद्देश्य के लिए

इससे लाभान्वित हुए हैं, जो पूरे वित्त वर्ष, 2021-22 की तुलना में 110 गाँव और 42,000 आबादी अधिक हैं, जो लाभान्वित हुए हैं।

खनन क्षेत्र को हरा-भरा बनाना

4.17 कोयला मंत्रालय के अनुसार, अपने खनन क्षेत्रों में सीआईएल का वृक्षारोपण वित्त वर्ष, 2021 के 862 हेक्टेयर से वर्तमान में 1613 हेक्टेयर में हो गया है जो लगभग दोगुना है। सीआईएल अपनी परित्यक्त खानों को इको-पार्क में परिवर्तित कर रहा है, जो इको-टूरिज्म पॉइंट के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। कुल 30 ऐसे इको-पार्क पहले से ही लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खनन क्षेत्रों में अधिक इको पार्क, इको-टूरिज्म साइट और इको-रिस्टोरेशन साइट बनाने की योजनाएँ चल रही हैं।

4.18 वर्ष 2022-23 के दौरान कैपेक्स लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में, सीएमडी, एनएलसीआईएल ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया है कि ₹ 2920 करोड़ के कैपेक्स की तुलना में 84% निधि का उपयोग कर लिया गया है और कंपनी चालू वर्ष के दौरान 100% कैपेक्स का उपयोग करेगी।

4.19 वर्ष 2022-23 के दौरान एससीसीएल द्वारा कैपेक्स के कम उपयोग के संबंध में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि एससीसीएल का मार्च, 2023 के अंत तक ₹ 2000.00 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में ₹ 1800.00 करोड़ के कैपेक्स का अनुमान है। कमी का कारण मुख्य रूप से एसटीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) और 66 मेगावाट (तीसरे चरण) सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आपूर्ति और संस्थापना में हुआ विलंब है।

4.20 वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय परिव्यय का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोयला / लिग्नाइट पीएसयू द्वारा उठाए गए /प्रस्तावित कदम के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:-

सीआईएल द्वारा बजटीय परिव्यय के पूर्ण उपयोग के लिए उठाए गए कदम निम्नवत हैं:

क. वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत कार्यकलाप को अंतिम रूप देने के लिए अग्रिम कार्रवाई हेतु सहायक कंपनियों ने दिसंबर, 2022 तक वर्ष 2023-24 के लिए अपने संबंधित पूंजीगत बजट को मंजूरी दे दी है और जनवरी, 2023 में सीआईएल बोर्ड द्वारा समग्र पूंजीगत बजट को मंजूरी दे दी गई है।

ख. सीआईएल के उच्चतम स्तर तक पूंजीगत कार्यकलापों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड द्वारा मासिक आधार पर कैपेक्स की समीक्षा की जा रही है और सहायक कंपनी के मुख्यालयों और सीआईएल के मुख्यालय स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

ग. सहायक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत परिव्यय के लिए विभिन्न कार्यकलापों को चिह्नित किया है। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही व्यय सुनिश्चित करने के लिए इन सभी कार्यकलापों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय परिव्यय के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

घ. प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे रेल कॉरिडोर, सीएचपी-साइलो और उनकी संबद्ध अवसंरचना में सीआईएल का व्यय अपेक्षित है, जिसके लिए पहले से ही निविदाएं जारी हैं।

ङ. सीआईएल की विविधीकरण पहलों में निवेश करने की भी योजना है जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है जिसके लिए वर्ष 2023-24 के दौरान पर्याप्त व्यय होने की संभावना है।

एससीसीएल ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के कैपेक्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:

- सिंगरेनी थर्मल पॉवर प्लांट (एसटीपीपी) में चल रही 66 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं में तेजी लाने और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफडीजी) की संस्थापना संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- कार्यों में तेजी लाने के लिए समयबद्ध निविदा प्रक्रिया के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे और भूमि तथा आरएंडआर मुद्दों का तेजी से समाधान करने के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

एनएलसीआईएल ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2880 करोड़ रुपये के कैपेक्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

ग. <u>प्रथम मील कनेक्टिविटी</u>

4.21 समिति को बताया गया है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले की निर्बाध निकासी के लिए 71 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की हैं। 95.5 एमटीपीए क्षमता की 8 परियोजनाएं (6

- सीआईएल और 2 - एससीसीएल) शुरू की गई हैं। रेल के माध्यम से कोयले की निकासी के लिए 44 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के संबंध में, मंत्रालय ने बताया है कि निकासी सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए इनके लिए दो चरणों में योजना बनाई गई है।

सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए हैं। पहले चरण में, सीआईएल ने 414.5 एमटीपीए क्षमता की 4 एमटीवाई और उससे अधिक क्षमता वाली खान में 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं को चिह्नित किया है। ये परियोजनाएं वर्ष 2023-24 तक मशीनीकृत निकासी को वर्तमान के 150 एमटीपीए से बढ़ाकर 565 एमटीपीए करने में मदद करेंगी। ये अवसंरचनात्मक परियोजनाएं कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने, अंडर-लोडिंग शुल्क में बचत और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेंगी।

इन 35 एफएमसी परियोजनाओं में से, 82 एमटीपीए क्षमता की 6 परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है और 30 एमटीपीए की 3 परियोजनाओं के मार्च, 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। 300 एमटीपीए क्षमता की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और निर्धारित समय से चल रही हैं। 32 एमटीपीए की 2 एफएमसी परियोजनाओं के प्राधिकरण पत्र (एलओए)/कार्य आदेश को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्थल वानिकी मंजूरी लंबित होने के कारण सौंपा नहीं जा सका। पहले चरण की सभी एफएमसी परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है।

एफएमसी चरण-दो में, 57 एमटीपीए की 9 एफएमसी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है, जिनमें से कुल 14 एमटीपीए की 3 एफएमसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। शेष 6 परियोजनाएं तैयार किए जाने और निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। दूसरे चरण की सभी एफएमसी परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2024-25 तक चालू होने की उम्मीद है। एफएमसी चरण - एक और एफएमसी चरण - दो के कार्यान्वयन के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2024-25 तक मशीनीकृत निकासी को 623 एमटीपीए तक बढ़ा देगा।

4.22 समिति ने निधियां उपलब्ध कराने और कोयले की निकासी के लिए रेल परियोजनाओं की प्रगति और सफलता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई कार्य योजना के बारे में पूछताछ की। इस संदर्भ में, अध्यक्ष, सीआईएल ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि एफएमसी परियोजनाएं बहुत ही विशेष परियोजनाएं हैं। इसके परिणाम का उत्पादन, निकासी और पर्यावरण

पर प्रभाव पड़ेगा। सीआईएल ने पहले ही 35 एफएमसी परियोजनाओं को चिह्नित कर लिया था और इन सभी परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। तथापि, इन परियोजनाओं में मगध और अमरपाली ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें वानिकी मंजूरी नहीं ली गई है। इन दो परियोजनाओं को छोड़कर, बाकी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। यद्यपि कोविड के कारण विलंब हुआ है, लेकिन इन सभी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है और सभी अग्रिम चरण में हैं। इन परियोजनाओं के अलावा, नौ अन्य परियोजनाएं हैं जिनमें से तीन परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और शेष परियोजनाओं पर सीआईएल बहुत जल्द काम शुरू करने जा रही है। सीआईएल ने वर्ष 2027 तक इन परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से ₹13000 से ₹14000 करोड़ खर्च कर रही है।

घ. <u>पीएम गति शक्ति के तहत पहल</u>

4.23 समिति को बताया गया है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले की ढुलाई में स्वच्छ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रेल निकासी को गति दी है और धीरे-धीरे देश में कोयले के सड़क मार्ग से ढुलाई में परिवर्तन लाने लिए नए प्रयास भी कर रहा है। ग्रीनफील्ड कोयला वाले क्षेत्रों में नई ब्रॉड गेज रेल लाइनों का नियोजित निर्माण, नए लोडिंग पॉइंट्स तक रेल लिंक का विस्तार और कुछ मामलों में रेल लाइनों के दोहरीकरण और तिहरीकरण से रेल क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

कोयला मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए 13 रेल परियोजनाएं शुरू की हैं और प्रत्येक परियोजना के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक अंतरों को चिह्नित किया है। उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय मास्टर योजना (एनएमपी) पोर्टल में चार रेलवे परियोजनाओं की सफलतापूर्वक मैपिंग की गई है, जिन्हें झारखंड और ओडिशा राज्यों में विकसित किया जाएगा और जो सभी वाणिज्यिक खनिकों के लिए तेजी से लॉजिस्टिक्स और व्यापक कनेक्टिविटी के साथ कोयले की ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा।

वर्ष 2022 के दौरान शुरू की गई रेल परियोजनाएं

1. भद्राचलम रोड-सत्तुपल्ली नई ब्रॉड गेज (बीजी) रेल लाइन।

2. एमसीआरएल चरण - 1 अंगुल बलराम रेल लिंक |

भाग-दो

टिप्पणियां / सिफारिशें

निधि आवंटन

1. समिति नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए आवंटित ₹ 393.24 करोड़ की बजटीय राशि की तुलना में संशोधित अनुमान ₹ 547.88 करोड़ था और फरवरी, 2023 तक ₹ 419.81 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया जो संशोधित आवंटन का 76.62 प्रतिशत है। कोयला मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान समिति को आश्वासन दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित धन को छोड़कर वर्ष के लिए संशोधित अनुमानों का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कोयला मंत्रालय को भविष्य में एनईआर में धन के उपयोग के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और धन उपयोग के मामले को पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए ताकि क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके।

<u>योजना परिव्यय</u>

2. समिति यह भी नोट करती है कि कोयला मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 642.32 करोड़ (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 563.50 करोड़ रुपये और अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 78.82 करोड़ रुपये) आवंटित की गई है । मंत्रालय ने बताया कि उन्हें वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों के कारण अधिक धन की आवश्यकता हो सकती है। कोयले की इन्वेंटरी में वृद्धि, कोयला अवसंरचना के विकास आदि के लिए चालू केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय को सिफारिश करती है कि संशोधित अनुमान स्तर पर वास्तविक अनुमानित आवश्यकताओं के अनुसार अधिक बजटीय सहायता की मांग करें।

3. वर्ष 2022 के दौरान कोयला मंत्रालय की नई नीतिगत पहलों के संबंध में, समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी के तहत वर्ष 2022 में एक नया उप-क्षेत्र 'कोयला गैसीकरण के लिए सिन-गैस का उत्पादन' बनाया गया है। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई-नीलामी के लिए एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। यह एकल ई-नीलामी खिड़की सभी क्षेत्रों की पूर्ति करेगी और राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ तरीके से परित्यक्त/बंद खदानों और सीआईएल/एससीसीएल की खदानों से कोयले के उत्पादन/बिक्री की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) को 11.04.2022 को संशोधित किया गया है।

कोयला मंत्रालय द्वारा उठाये गए इन नए कदमों की सराहना करते हुए, जिससे उपभोक्ता के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और कोयले की उपलब्धता को और

आसान बनाया जाएगा, समिति चाहती है कि उसे अब तक की उपलब्धि और वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अवगत कराया जाए।

अनुसंधान और विकास

4. समिति पाती है कि वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय प्रायोजित (अनुसंधान और विकास) योजना के लिए वास्तविक उपयोग 8.35 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय (28.02.2023 तक) 6.30 करोड़ रुपये था। अब, मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसंधान गतिविधियों के लिए ₹ 21.00 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जहां तक वास्तविक कार्य-निष्पादन का संबंध है, समिति को सूचित किया गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, 11 चालू परियोजनाओं की तुलना में दो को 31.12.2022 तक पूरा कर लिया गया था और एसएसआरसी द्वारा नौ परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई थी और इस प्रकार 31 दिसंबर, 2022 तक 17 परियोजनाएं चल रही थीं।

कोयला क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों की सराहना करते हुए, जिसमें स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास, कोयला खानों में सुरक्षा और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है और भविष्य हेतु सुरक्षित स्वच्छ ऊर्जा कार्यान्वयन के लिए इनको प्राथमिकता दी गई है, समिति को आशा है कि कोयला मंत्रालय अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत 2023-24 के दौरान आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग करेगा। समिति यह भी सिफारिश करती है कि कोयला विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए।

संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण

5. समिति नोट करती है कि कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण, जो कोयला मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करना है और इसे विभिन्न एजेंसियों जैसे सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति यह भी पाती है कि संवर्धनात्मक अन्वेषण की योजना के तहत, वर्ष 2022-23 के लिए बीई चरण में ₹75 करोड़ के बजट परिव्यय को आरई चरण में बढ़ाकर ₹130 करोड़ कर दिया गया था, और फरवरी, 2023 तक वास्तविक उपयोग ₹114.12 करोड़ था।

समिति पाती है कि परिव्यय में वृद्धि के साथ, वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारित 0.40 लाख मीटर के वास्तविक लक्ष्य को संशोधित कर 0.65 लाख मीटर कर दिया गया है। समिति इस बात की सराहना करती है कि जनवरी, 2023 तक 0.57 लाख मीटर ड्रिलिंग पहले ही की जा चुकी है और 2022-23 के दौरान निर्धारित अन्वेषण लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एनईआर घटक को छोड़कर योजना के अंतर्गत निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। समिति इस बात पर जोर देती है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए, सिफारिश करती है कि कोयला मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण की योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त किये जा सकें।

6. समिति पाती है कि कोयला और लिग्नाइट योजना के लिए संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि आरई 2022-23 से 120 करोड़ रुपये अधिक है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय अन्वेषण में 2.00 लाख मीटर और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीई 2023-24 में 250 करोड़ रुपये का परिव्यय पर्याप्त है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय बढ़े हुए आवंटन का इष्टतम और दक्षता से उपयोग करेगा और वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की इष्टतम उपलब्धि के लिए योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देगा।

गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

7. समिति नोट करती है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) सूचित और अनुमानित श्रेणी में आने वाले संसाधनों को मापित (प्रमाणित) श्रेणी में लाने के लिए सख्त समय-सीमा के अनुसार सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण करता है। समिति पाती है कि 'गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग' योजना के तहत, 175 करोड़ रुपये के बीई, 2022-23 को आरई स्तर पर बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है और वास्तविक व्यय (फरवरी, 2023 तक) 255.05 करोड़ रुपये हो गया है। समिति को बताया गया है कि एनईआर घटक को छोड़कर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग वर्ष 2022-23 की अनुमानित उपलब्धि को पूरा करने और पिछले वर्ष के 197 करोड़ रूपए के बकाया को चुकाने के लिए किया जाएगा।

समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की ऐसी महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए धन को वर्ष 2022-23 के दौरान आरई स्तर पर बढ़ाया गया था और इसका पूरी तरह से उपयोग किए जाने की संभावना है। समिति यह भी पाती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के लिए 200 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के तहत आवंटित धन का उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएं और यदि आवश्यक हो, तो कोयला मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन बढ़ाने की मांग कर सकता है।

कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा

8. समिति पाती है कि कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा योजना के तहत, कोयले के संरक्षण के पहलू को योजना स्तर से ही ध्यान में रखा जाता है और कार्यान्वयन के दौरान अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। समिति यह भी पाती है कि कोयला कंपनियों के लिए सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। समिति पाती है कि वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन 4 करोड़ रुपये था और वास्तविक व्यय (फरवरी, 2023 तक) 3.60 करोड़ रुपये है।

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि 2023-24 के दौरान बजट अनुमान 20 करोड़ रुपये है, जो बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में पांच गुना अधिक है। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि 2023-24 के दौरान आवंटित निधि पर्याप्त प्रतीत होती है क्योंकि 4.13 करोड़ रुपये की अनुमोदित परियोजनाएं हैं जिन्हें सीसीडीए समिति ने पिछले वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के दावों के मुकाबले अनुमोदित किया था। साथ ही, सीसीडीए उप-समिति ने सितंबर, 2022 तक 15.95 करोड़ रुपये की राशि के दावों की सिफारिश की है जिसे सीसीडीए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना है। इसलिए, समिति वर्ष 2023-24 के न केवल 20.00 करोड़ रुपए के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार की कार्य योजना से, बल्कि सीसीडीए उप-समिति द्वारा लगाए गए अनुमानों को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान स्तर पर परिव्यय में उपयुक्त वृद्धि से भी अवगत होना चाहती है।

कोल्फील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना का विकास

9. समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के तहत बजटीय प्रावधान 50.00 करोड़ रुपये का था और वास्तविक व्यय (फरवरी, 2023 तक) 40.74 करोड़ रुपये का रहा है। समिति यह भी पाती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तीन प्रमुख रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं डिपोजिट आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं और चार रेल अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सड़कों के विकास और रेल अवसंरचना के सृजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधान के तहत कोल्फील्ड क्षेत्रों में कोयला निकासी संबंधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के तहत निर्धारित निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाए। समिति मंत्रालय को वर्ष 2023-24 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के तहत संशोधित अनुमान स्तर पर आवश्यकता के अनुसार बढ़ी हुई मांग करने की भी सिफारिश करती है।

सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों का वास्तविक कार्य निष्पादन

10. समिति नोट करती है कि सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल द्वारा 2023-24 के दौरान कोयला/लिग्नाइट उत्पादन के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्रमशः 780 एमटी, 70 एमटी और 26.50 एमटी हैं। समिति पाती है कि 2022-23 के दौरान सीआईएल और एससीसीएल द्वारा 700 एमटी, 70 एमटी कोयला उत्पादन के अनुमानित वास्तविक लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2023 तक वास्तविक उत्पादन क्रमशः 550.92 एमटी और 54.10 एमटी रहा है। समिति नोट करती है कि सीआईएल ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 542.4 एमटी उत्पादन की तुलना में फरवरी, 2022-23 तक 619.7 एमटी का उत्पादन करके 14.3% की भारी वृद्धि दर्ज की।

समिति, सीआईएल द्वारा 77.3 एमटी कोयले के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को नोट कर प्रसन्न है, जिससे न केवल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 700 एमटी के उत्पादन लक्ष्य को पार कर एक प्रमुख उपलब्धि प्राप्त करने में मदद करेगी, बल्कि यह भी कि कंपनी 80 एमटी उत्पादन कर रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करेगी। समिति, सीआईएल के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करती है और आशा करती है कि सीआईएल कोयला आयात को कम करने में मदद करने के लिए वांछित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना जारी रखेगी।

जहां तक एनएलसीआईएल का संबंध है, वर्ष 2022-23 के दौरान 23 एमटी के लिग्नाइट उत्पादन लक्ष्य की तुलना में फरवरी, 2023 तक वास्तविक उपलब्धि 20.9 एमटी रही है। 28.02.2023 को आयोजित साक्ष्य के दौरान एनएलसीआईएल के सीएमडी ने समिति को आश्वासन दिया है कि 2022-23 के दौरान एनएलसीआईएल द्वारा लिग्नाइट उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए जाएंगे। समिति यह भी चाहती है कि कंपनी 2023-24 के दौरान लक्षित कोयला और लिग्नाइट उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।

भूमिगत उत्पादन अभियान

11. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए, सीआईएल अपने फंसे हुए भूमिगत भंडारों को खोलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अतिरिक्त, चूँकि भूमिगत कोयला गुणवत्ता में बेहतर होता है और उच्च ग्रेड के कोयले के आयात के बोझ को कम करता है, यह भूमि के अंदर कम गहराई पर मिलता है, जिससे भूमि के क्षरण से बचा जा सकता है और यह समाज के लिए उपयोगी होता है। समिति को यह भी बताया गया है कि सीआईएल ने 10.50 एमटीवाई की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 18 भूमिगत खानों में निरंतर रूप से कार्य करने वाले 24 माइनर्स की शुरुआत की है और यह मार्च, 2026 तक 20 खानों में 42 और माइनर्स की तैनाती की योजना बना रही है। मार्च, 2027 तक चार संचालित सपोर्ट लांग वॉल (पीएसएलडब्ल्यू) उपकरण भी स्थापित करना भी प्रस्तावित है। लगभग 600 एमटी के अनुमानित खनन योग्य भंडार वाली 30 बंद खानों को फिर से खोलने के कार्य में भी प्रगति की सूचना है।

समिति का मानना है कि कोयला उत्पादन के ट्रैप्ड भूमिगत भंडारों को खोलना एक सही कदम है और इससे न केवल गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन में मदद मिलेगी, बल्कि कोयले के आयात में भी कमी आएगी। ट्रैप्ड कोयला भंडारों का खनन करने की सरकार की पहल की सराहना करते हुए, समिति नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सिफारिश करती है जो यूजी खानों से गुणवत्तापूर्ण कोयला उत्पादन को बढ़ावा देंगी।

सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

12. समिति नोट करती है कि सरकारी क्षेत्र की कोयला/लिग्नाइट कंपनियां सरकार से बजटीय सहायता के बिना केवल आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से अपने पूंजी निवेश की योजना बनाती हैं। कोयले के उत्पादन और अवसंरचना के संबंधित विकास के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 21030 करोड़ रुपये (सीआईएल- 16500 करोड़ + एनएलसीआईएल- 2880 करोड़ रुपये + एससीसीएल- 1650 करोड़ रुपये) की पूंजीगत व्यय राशि प्रस्तावित की गई है। जहां तक वर्ष 2022-23 के दौरान आबंटनों की तुलना में पूंजी निवेश योजनाओं के कार्यान्वयन की सीमा का सवाल है, समिति पाती है कि सभी तीन कंपनियों (सीआईएल - 16500 करोड़ रुपये), (बीई एंड आरई) एनएलसीआईएल- 2920 करोड़ रुपये (बीई एंड आरई) और एससीसीएल - 2000 करोड़ रुपये, (बीई) (1600 करोड़ रुपये आरई) के लिए 21420 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में जनवरी, 2023 तक वास्तविक व्यय, 16433 करोड़ रूपये (78.17%) रहा है। निधियों का उपयोग क्रमश: सीआईएल द्वारा 13024 करोड़ रुपये (79%), एनएलसीआईएल द्वारा 1803 करोड़ रुपये (62%) और एससीसीएल द्वारा 1606 करोड़ रुपये (100.4%) किया गया है। समिति को बताया गया है कि सीआईएल और एनएलसीआईएल वर्ष 2022-23 के लिए अपने कैपेक्स लक्ष्य का पूरा उपयोग करेंगे।

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि सीआईएल ने दिसंबर, 2022 तक नौ महीनों में 22,597 करोड़ रुपये का समग्र कर पश्चात लाभ (पीएटी) प्राप्त किया जोकि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और जो कि कंपनी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए पहले प्राप्त किए गए उच्चतम पीएटी को भी पार कर गया है जो 2018-19 में 17,464 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2022 में इसी अवधि के दौरान ₹ 10,663 करोड़ के लाभ की तुलना में सीआईएल द्वारा पोस्ट किए गए नौ महीने की अवधि

के लाभ में 112% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। समिति यह नोट कर प्रसन्न है कि 2022-23 के दौरान सीआईएल और एनएलसीआईएल से अपने कैपेक्स लक्ष्य का पूरा उपयोग करने की आशा है। समिति ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए सीआईएल द्वारा उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए कंपनी को भविष्य में इसी तरह के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी सिफारिश की।

अपशिष्ट से धन का सृजन - ओबीआर से रेत

13. समिति नोट करती है कि फरवरी, 2023 तक सीआईएल ने 1486 मिलियन क्यूबिक मीटर (एम.क्यूएम) ओवर बर्डन रिमूवल की खुदाई की, और गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21% की भारी वृद्धि दर्ज की और 101.4% का क्रमिक लक्ष्य हासिल किया। उच्च वृद्धि दर के साथ, सीआईएल को 2022-23 के दौरान 1634 मिलियन क्यूबिक मीटर का लक्ष्य प्राप्त करने का भरोसा है। 272 एमक्यूएम की वृद्धि एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक मात्रा वाली वृद्धि होगी। यद्यपि, ओवर बर्डन रिमूवल कोयले के भविष्य के उत्पादन में सुगमता और तेजी को सुनिश्चित करता है, वहीं समिति ने यह भी पाया कि विनिर्मित रेत, कोयला उत्पादन से निकलने वाले अपशिष्ट के 4 गुना से बनाई जाती है।

जहां तक विनिर्मित रेत सफलता और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में परियोजनाएं शुरू करने की योजना का संबंध है, समिति को बताया गया है सीआईएल ओवर बर्डन सामग्री से रेत का विनिर्माण कर रही है। ऐसी चार परियोजनाओं अर्थात वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में दो, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक-एक परियोजना ने जनवरी, 2023 तक कुल 2.37 लाख घन मीटर एम-सैंड का उत्पादन किया है।

समिति यह महसूस करती है कि कोयला मंत्रालय और सीआईएल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रेत उपलब्ध कराने की यह पहल एक बहुत ही नवीन विचार के साथ की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों में शुरू की जा रही विनिर्मित रेत परियोजना जिनके द्वारा ओवर बर्डन रिमूवल से कुल 2.37 लाख घन मीटर रेत का उत्पादन किया गया है, की इस पहल की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि ऐसी परियोजनाएं कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में शुरू की जाएं।

खदान के पानी का प्रभावी उपयोग

14. समिति नोट करती है कि कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने मार्च, 2022 तक 7,848 लाख किलो लीटर खदान पानी छोड़ा। लगभग 47 प्रतिशत पानी का उपयोग आस-पास के समुदायों द्वारा 871 गांवों (सीआईएल (727 गांव), एससीसीएल (104 गांव) और एनएलसीआईएल (40 गांव) में घरेलू और सिंचाई उद्देश्य दोनों के लिए किया जाता है और 16.18 लाख की आबादी लाभान्वित होती है। समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सीआईएल की खानों से छोड़े गए खदान के पानी से वर्ष के दौरान घरेलू और सिंचाई उद्देश्य के लिए सीआईएल के खनन क्षेत्रों के निकट 837 गांवों में 11.10 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, जो पूरे वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 110 गांव अधिक हैं और 42,000 और अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। खान जल के प्रभावी उपयोग की सराहना करते हुए समिति आशा करती है कि सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रम भविष्य में भी ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहेंगे।

परित्यक्त खानों द्वारा पारिस्थिति की बहाली

15. समिति पाती है कि सीआईएल का खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण वित्तीय वर्ष 2021 के 862 हेक्टेयर से दोगुना बढ़कर लगभग 1613 हेक्टेयर हो गया है। सीआईएल अपनी परित्यक्त खानों को इको-पार्क में परिवर्तित कर रही है जो इको-पर्यटन स्थलों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। पहले ही विकसित कर लिए गए ऐसे 30 इको-पार्कों को ध्यान में रखते हुए, समिति परित्यक्त खान स्थलों की पारिस्थितिकी बहाली द्वारा ऐसे और अधिक इको पार्कों के निर्माण के लिए सीआईएल की योजनाओं से अवगत होना चाहेगी।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

16. समिति पाती है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले की निर्बाध निकासी के लिए 71 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू की हैं, 95.5 एमटीपीए क्षमता की 8 परियोजनाएं (6-सीआईएल और 2-एससीसीएल) पहले ही चालू की जा चुकी हैं। जहां तक रेल के माध्यम से कोयला निकासी के लिए सीआईएल की 44 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं का सवाल है, समिति नोट करती है कि कोयला निकासी सुविधा को मजबूत करने के लिए ये योजनाएं दो चरणों में बनाई गई है।

समिति नोट करती है कि यह फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) न केवल कोयले की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेगी, बल्कि सड़क मार्ग से कोयले के परिवहन के दौरान प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगी। इनमें से चरण-I में 414.5 एमटीपीए की क्षमता वाली 35 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कार्यान्वित किया जाना है और अन्य 9 परियोजनाएं (चरण-II के अंतर्गत) शुरू की गई हैं जो लगभग 57 एमटीपीए कोयले के प्रेषण को पूरा करेंगी। चरण-I की 35 एफएमसी परियोजनाओं में से 82 एमटीपीए क्षमता की 6 परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं और 30 एमटीपीए की 3 परियोजनाओं के मार्च, 2023 तक चालू होने की आशा है।

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि चरण-I की सभी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की संभावना है और 9 एफएमसी परियोजनाओं (चरण-II) में से 14 एमटीपीए की कुल 3 एफएमसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और शेष 6 परियोजनाएं निर्माण और निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

समिति यह भी पाती है कि 300 एमटीपीए क्षमता की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और निर्धारित समय पर हैं ।समिति यह जानकर प्रसन्न

है कि कोयला मंत्रालय और कोयला कम्पनियां इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए फास्ट ट्रैक पर है और एफएमसी चरण-1 तथा एफएमसी चरण-2 के कार्यान्वयन के बाद, कोल इंडिया लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मशीनीकृत निकासी को बढ़ाकर 623 एमटीपीए कर देगा।

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड इन एफएमसी परियोजनाओं के लिए अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से 13000 से 14000 करोड़ खर्च कर रहा है। कोयला और रेल मंत्रालयों द्वारा की गई पहलों की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना के चरण I और चरण-II दोनों को लक्ष्य के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित और पूरा किया जाना चाहिए।

पीएम गति शक्ति के तहत पहल

17. समिति नोट करती है कि कोयला मंत्रालय ने कोयला के परिवहन में स्वच्छ पर्यावरण को देखते हुए रेल द्वारा इसके परिवहन में गति दी है और देश में कोयले की सड़क मार्ग से ढुलाई से धीरे-धीरे दूर जाने के नए प्रयास भी शुरू किए हैं। कोयला मंत्रालय के अनुसार, ग्रीनफील्ड कोयला धारक क्षेत्रों में नई ब्रॉड गेज रेल लाइनों के योजनागत निर्माण, रेल लिंक को नए लोडिंग बिंदुओं तक विस्तारित करने और कुछ मामलों में रेल लाइनों के दोहरीकरण और तिहरीकरण से रेल क्षमता में काफी वृद्धि होगी। समिति यह भी पाती है कि कोयला मंत्रालय ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए 13 रेल परियोजनाएं शुरू की हैं और प्रत्येक परियोजना के लिए मिसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप की पहचान की है। चार रेल परियोजनाओं को हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के तहत नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल में सफलतापूर्वक मैपिंग किया गया है, जिसे झारखंड और ओडिशा राज्यों में विकसित किया जाएगा और सभी वाणिज्यिक खनिकों के लिए त्वरित लाजिस्टिक्स और व्यापक कनेक्टिविटी के साथ कोयले की ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा। 2022 के दौरान, भद्राचलम रोड-सत्तूपल्ली नई ब्रॉड गेज रेल लाइन और एमसीआरएल चरण - 1 अंगुल बलराम रेल लिंक चालू की गई है। पीएम गति शक्ति के तहत कोयला मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय रेल मंत्रालय के समन्वय से इन परियोजनाओं कार्यान्वयन के लिए एक समय सीमा तय करे।

मंत्रालय की उपलब्धियां

18. पिछले कुछ वर्षों के दौरान त्वरित कोयला उत्पादन को सक्षम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति पाती है कि कोयला मंत्रालय ने कोयले और धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरण पर पड़ने वाले बाहरी प्रभावों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहल, संसाधन आधार बढ़ाने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अन्वेषण बढ़ाने जैसे उद्देश्यों को प्राप्त किया है। समिति आशा करती है कि कोल इंडिया लि. कोयला क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देना जारी रखेगी। इसके अलावा, सरकार की अनुसंधान और विकास, संवर्धनात्मक अन्वेषण, गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग, कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा और कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास जैसी केंद्रीय योजनाएं कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। समिति आशा करती है कि इन ठोस प्रयासों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की कुशलतापूर्वक उपलब्धि की जाएगी।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध-एक

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की मंगलवार, 28 फरवरी, 2023, को समिति कक्ष संख्या '2', ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1320 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह – सभापति

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री कुनार हेम्ब्रम
4. श्री सी.पी. जोशी
5. श्री चुन्नीलाल साहू
6. श्री सौमित्र खान
7. श्री सुनील कुमार सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री पशुपति नाथ सिंह

राज्य सभा

2. श्री रवंगवारा नारजारी
3. श्री दीपक प्रकाश
4. श्री आदित्य प्रसाद
5. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
6. श्री बी. लिंगैया यादव

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक

3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

साक्षी

कोयला मंत्रालय

1	श्री अमृत लाल मीणा	सचिव
2	श्री मदिराला नागराजू	अपर सचिव
3	श्रीमती विस्मिता तेज	अपर सचिव
4	श्रीमती निरूपमा कोटरू	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार
5	श्री भबानी प्रसाद पति	संयुक्त सचिव
6	श्री संजीव कुमार कासी	संयुक्त सचिव
7	श्री आनंदजी प्रसाद	सलाहकार (परियोजना)
8	श्री हर कुमार हाजोंग	आर्थिक सलाहकार
9	सुश्री संतोष	उप महानिदेशक
10	श्री विजय कुमार मिश्रा	आयुक्त, सीएमपीएफओ

सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम

11	श्री प्रमोद अग्रवाल	सीएमडी, कोल इंडिया लिमिटेड
12	श्री प्रसन्ना कुमार	सीएमडी, एनएलसीआईएल
13	श्री एन. श्रीधर	सीएमडी, एससीसीएल
14	श्री ओ.पी. सिंह	सीएमडी, एमसीएल
15	श्री भोला सिंह	सीएमडी, एनसीएल
16	श्री पी. एस. मिश्रा	सीएमडी, एसईसीएल
17	श्री ए. पी. पांडा	सीएमडी, ईसीएल
18	श्री मनोज कुमार	सीएमडी सीएमपीडीआईएल

19	श्री समीरन दत्ता	सीएमडी, बीसीसीएल
20	श्री पी. एम. प्रसाद	सीएमडी, सीसीएल
21	श्री मनोज कुमार	सीएमडी, डब्ल्यूसीएल

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने अनुदानो की मांगों (2023-24) की जांच के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में कोयला मंत्रालय के सचिव एवं अन्य प्रतिनिधियों और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात, सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

3. इसके बाद, कोयला मंत्रालय के सचिव ने समिति को मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक उपयोग के बारे में जानकारी दी। एक विजुअल प्रेजेंटेशन में, समिति को 2022-23 के दौरान कोयला मंत्रालय और इसके पीएसयू द्वारा निर्धारित और प्राप्त वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों और 2023-24 के दौरान कोयला क्षेत्र के विकास के लिए परिकल्पित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अवगत कराया गया।

4. तत्पश्चात्, माननीय सभापति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में निधियों के कम उपयोग के कारणों, अनुसंधान एवं विकास योजना, सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन, रानीगंज और झरिया संशोधित मास्टर प्लान की स्थिति, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति और सफलता के लिए कार्य योजना आदि जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। समिति के सदस्यों ने अवैध कोयला खनन, निधियों के कम उपयोग, कोयले की चोरी, कोयले के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों, चालू कोयला/लिग्नाइट परियोजनाओं की समीक्षा के लिए निगरानी तंत्र आदि जैसे मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगा।

5. कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। सभापति ने कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि समिति की बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सके, उनके लिखित उत्तर प्रस्तुत करें।

बैठक के शब्दशः रिकार्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध -दो

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15 मार्च, 2023 को 1530 बजे से 1630 बजे तक माननीय सभापति के कक्ष, कमरा नं '210', बी-ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में आयोजित छठी बैठक का कार्यवाही सारांश।

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री अजय निषाद
7. श्री एस.आर.पार्थिबन
8. श्रीमती रीती पाठक
9. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
10. श्री सुनील कुमार सिंह
11. श्री पशुपति नाथ सिंह
12. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

13. श्री रवंगवरा नारजारी
14. श्री समीर उरांव
15. श्री दीपक प्रकाश
16. श्री आदित्य प्रसाद
17. श्री बीलिंगैय्या यादव .

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और कुछ संशोधनों के साथ उन्हे स्वीकार किया :-

(i) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन;

(ii) *** *** *** ***;

(iii) *** *** *** ***

4. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आलोक में प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए अधिकृत किया।

5. *** *** *** ***

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

* प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।